इस्लाम क्या है?

लेखक

अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-ईदान

अनुवादक

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

जलालुद्दीन एवं सिद्दीक़ अहमद

www.islamhouse.com

1428-2007

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

इस्लाम क्या है ?

सम्पूर्ण इस्लाम जिसके साथ अल्लाह तआला ने अपने संदेश्वाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है वह पांच स्तम्भों पर आधारित है, कोई मनुष्य उस समय तक पक्का और सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह उन पर ईमान न ले आए (विश्वास न रखे) उनकी अदायगी न करे और उन पर कार्य बद्ध न हो, वह निम्नलिखित हैं :

१. इस बात की गवाही (साक्ष्य) दे कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूज्य नहीं है और यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश्वाहक हैं।

२. नमाज़ क़ाईम करे।

३. ज़कात (अनिवार्य धर्म-दान) दे।

४. रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे।

५. अल्लाह के पवित्र घर (काबा) का हज्ज करे यदि वहां तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता हो।

इन पांचों स्तम्भों में से प्रत्येक स्तम्भ की आगे सन्छिप्त व्याख्या की जा रही है :

प्रथम स्तम्भ: **'ला इलाहा इल्लल्लाह'** (अल्लाह तआला के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं) और **'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'** (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश्वाहक हैं) की गवाही:

यह गवाही मनुष्य के इस्लाम में प्रवेष करने का द्वार और कुन्जी है, वह किसी अन्य गवाही या किसी अन्य कहे जाने वाले शब्द के समान नहीं है, कदापि नहीं, बल्कि इस धर्म के अन्दर उसका एक महान और गहरा अर्थ है, यही कारण है कि जो व्यक्ति उसे अपने मुख से कह ले और उसके अर्थ को भली-भांति जानता पहचानता हो, तो उसका प्रतिफल यह है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उसे स्वर्ग में दाखिल करेगा। इस्लाम के पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस विषय में फरमाते हैं :

((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الجنة على ما كان من العمل))

رواه البخاري ومسلم.

जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य पूजनीय नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, और यह गवाही दे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके संदेश्वाहक हैं, और ईसा अल्लाह के बन्दे (भक्त) और उसके संदेश्वाहक, तथा उसके कलिमा हैं जिसे मरियम की ओर अल्लाह तआला ने डाल दिया था और उसकी ओर से रूह हैं, और यह कि जन्नत सत्य है और नरक सत्य है, तो ऐसे व्यक्ति को अल्लाह तआला स्वर्ग में प्रवेष दिलाएगा चाहे उसका कर्म कुछ भी हो। (बुखारी व मुस्लिम)

'**ला इलाहा इल्लल्लाह**' की गवाही का अर्थ यह है कि आकाश और धरती में अकेले अल्लाह के अतिरिक्त कोई

अन्य वास्तविक पूज्य नहीं, वही सच्चा पूज्य है, और अल्लाह के अतिरिक्त जिसकी भी मनुष्य पूजा करते हैं चाहे उसकी गुणवत्ता कुछ भी हो; वह झूठा और असत्य है।

'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के संदेश्वाहक होने) की गवाही देने का अर्थ यह है कि आप यह ज्ञान और विश्वास (आस्था) रखें कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदेश्वाहक हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने समस्त मानव और जिन्नात की ओर संदेश्वाहक बनाकर भेजा है, और यह कि वह एक उपासक हैं उपासना के पात्र नहीं हैं (अर्थात उनकी उपासना नहीं की जाएगी) और वह एक संदेश्वाहक हैं उन्हें झुठलाया नहीं जाएगा, बल्कि उनका आज्ञापालन और अनुसरण किया जाएगा, जिसने उनका आज्ञापालन किया वह स्वर्ग में प्रवेष करेगा, और जिसने उनकी अवहेलना की वह नरक में जाएगा, पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :

((ما من رجل يهودي أو نصراني يسمع بي ، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار))

जो भी यहूदी या ईसाई मेरे बारे में सुने, फिर मेरी लाई हुई शरीअत पर ईमान न लाए, वह नरक में प्रवेष करेगा।

इसी प्रकार आप यह भी ज्ञान और विश्वास रखें कि शरीअत के क़ानून और आदेश तथा निषेध को, चाहे उसका संबंध इबादतों से हो, शासन व्यवस्था से हो, या हलाल और हराम से हो, या आर्थिक, या समाजिक या व्यवहारिक जीवन से हो या इनके अतिरिक्त किसी अन्य मैदान से हो, केवल इस रसूले करीम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्ग से ही लिया जा सकता है; इसलिए कि अल्लाह के सरूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने रब्ब (पालनहार) की ओर से उसकी शरीअत के प्रसारक व प्रचारक हैं, अतः किसी मुसल्मान के लिए वैध (जायज़) नहीं है कि वह पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से आए हुए किसी क़ानून या आदेश या मनाही को स्वीकार करे।

द्वितीय स्तम्भः नमाज़

इस नमाज़ को अल्लाह तआला ने इसलिए मश्रूअ किया है ताकि वह अल्लाह तआला और बन्दे के मध्य

संबंध का माध्यम बन जाए जिसमें वह उसकी आराधना करे और उसे पुकारे, नमाज धर्म का खम्बा और उसका मूल स्तम्भ है, जिस प्रकार कि तम्बू का खम्बा होता है यदि वह गिर जाए तो अवशेष स्तम्भों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, इसी के बारे में क़ियामत के दिन मनुष्य से सर्वप्रथम पूछ-ताछ किया जाएगा (हिसाब लिया जाएगा), यदि यह (नमाज़) स्वीकार कर ली गई तो उसके सारे कर्म स्वीकार कर लिए जाएंगे, और यदि इसे ठुकरा दिया गया तो उसके सारे कर्म ठुकरा दिए जाएंगे।

अल्लाह तआला ने इस नमाज़ के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं, तथा इसके कुछ अर्कान और वाजिबात भी हैं, जिन्हें उनके लक्षित विधि पर करना प्रत्येक नमाज़ी के लिए आवश्यक है ताकि अल्लाह के पास वह नमाज़ स्वीकार हो।

नमाज़ और उसकी रक्अतों की संख्याः

इन नमाज़ों की संख्या दिन और रात में पांच बार है, और वह नमाज़ें यह हैं, फज्र की नमाज़ दो रक्अत, जुह्र की नमाज़ चार रक्अत, अस्र की नमाज़ चार रक्अत, मग्रिब की नमाज़ तीन रक्अत, और इशा की नमाज़ चार रक्अत। तथा इनमें से प्रत्येक नमाज़ का

एक निर्धारित समय है जिससे उसको विलम्ब करना जायज़ नहीं है, जिस प्रकार कि उसे उसके समय से पहले पढ़ना जायज़ नहीं, और यह नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ी जाएंगी जो अल्लाह के घर हैं, इससे केवल उस व्यक्ति को छूट है जिसके पास कोई शरई कारण हो जैसेकि यात्रा और बीमारी आदि।

नमाज़ के फायदे और विशेषताएं :

इन नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने के बहुत से लौकिक और प्रलौकि लाभ और विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ यह हैं :

①- यह नमाज़ मनुष्य के लिए संसार की बुराईयों और कठिनाईयों से सुरक्षित रहने का कारण है, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :

(من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله ، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء)

رواه مسلم.

जिसने सुबह (फज्र) की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी वह अल्लाह तआला की सुरक्षा में है, सो ऐ आदम के बेटे, देख कहीं अल्लाह तआला तुझसे

अपनी सुरक्षा में से किसी चीज़ का मुतालबा न करने लगे। (मुस्लिम).

②- नमाज़ गुनाहों के क्षमा का कारण है जिनसे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाता है, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:

((**من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة ، والأخرى ترفع درجة**)) رواه مسلم

जो व्यक्ति अपने घर में वुज़ू करता है, फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर (मस्जिद) में अल्लाह तआला की अनिवार्य की हुई किसी फर्ज़ नमाज़ को पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके एक पग पर एक गुनाह झड़ता है और दूसरे पग पर एक पद बलन्द होता है। (मुसिलम)

③-यह नमाज़ पढ़ने वालों के लिए फरिश्तों की दुआ (आशीर्वाद) और उनकी क्षमा याचना करने का कारण है , इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:

((الملائكة تصلي علي أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول : اللهم اغفر له، اللهم ارحمه)) رواه البخاري.

फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं जब तक तुम में से कोई व्यक्ति अपने उस स्थान पर होता है जिसमें उसने नमाज़ पढ़ी है, जब तक कि उसका वुज़ू टूट न जाए, फरिश्ते दुआ करते हैं: ऐ अल्लाह! उसे क्षमा कर दे, ऐ अल्लाह! उस पर दया कर। (बुखारी)

④- नमाज़ शैतान पर विजय प्राप्त करने, उसे परास्त करने और उसे अपमानित करने का साधन है।

⑤- नमाज़ मनुष्य के लिए क़ियामत के दिन सम्पूर्ण प्रकाश (नूर) प्राप्त करने का कारण है, इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:

((بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد، بالنور التام يوم القيامة)) رواه أبو داود و الترمذي.

अंधेरों में मस्जिदों की ओर जाने वालों को, क़ियामत के दिन सम्पूर्ण प्रकाश (नूर) की शुभ सूचना दे दो। (अबु-दाऊद, त्रिमिज़ी)

⑥- जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का कई गुना अज्र व सवाब (पुण्य) है, इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:

((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस गुना अधिक श्रेष्ठ है। (बुखारी व मुस्लिम)

⑦- नमाज़ में उन मुनाफिक़ों (पाखण्डियों) के अवगुणों में से एक अवगुण से छुटकारा है जिनका ठिकाना जहन्नम का सबसे निचला भाग है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं :

((ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا)) متفق عليه.

मुनाफिक़ों पर फज्र और इशा की नमाज़ से अधिक भारी कोई नमाज़ नहीं, यदि उन्हें पता चल जाए कि उन दोनों में क्या - अज्र व सवाब- है तो वह उसमें अवश्य आएं चाहे घुटनों के बल घिसट कर ही क्यों न आना पड़े। (बुखारी व मुस्लिम).

⑧- यह मनुष्य के लिए वास्तविक सौभाग्य, हार्दिक सन्तुष्टि की प्राप्ति और मानसिक रोगों तथा जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने का उचित मार्ग है, जिन से आजकल अधिकांश लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि शोक, चिन्ता, बेचैनी, व्याकुलता, और बहुत से परिवारिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक मामलों में नाकामी इत्यादि।

⑨- नमाज़ स्वर्ग में प्रवेष पाने का कारण है, इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं:

((من صلى البردين دخل الجنة)) متفق عليه.

जिसने दो ठंढी नमाज़ें (अस्र और फज्र की नमाज़ें) पढ़ीं वह जन्नत में प्रवेष करेगा। (बुखरी व मुस्लिम)

((لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها)) يعني الفجر و العصر. رواه مسلم.

जिस व्यक्ति ने भी सूरज निकलने और उसके डूबने से पहले नमाज़ पढ़ी वह जहन्नम में कदापि नहीं जाएगा, अर्थात फज्र और अस्र की नमाज़। (मुस्लिम)

इसके अतिरिक्त इस्लाम के अन्दर अन्य नमाज़ें भी हैं जो अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि वह सुन्नत (ऐच्छिक) हैं, जैसे कि सलातुल ईदैन (ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़्हा की नमाज़) चांद और सूरज ग्रहण की नमाज़, सलातुल-इस्तिस्क़ा, (वर्षा मांगने की नमाज़) और सलातुल-इस्तिखारा इत्यादि।

तीसरा स्तम्भ : ज़कात

ज़कात इस्लाम का तीसरा स्तम्भ है, उसके महत्व के कारण अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में बहुत से स्थानों पर उसका और नमाज़ का एक साथ उल्लेख किया है, यह कुछ निर्धारित शर्तों के साथ मालदारों की सम्पतियों में एक अनिवार्य अधिकार है, इसे कुछ निर्धारित लोगों पर निर्धारित समय में वित्रण किया जाता है।

ज़कात की वैधता की हिक्मत :

इस्लाम में ज़कात के वैध किए जाने की अनेक हिक्मतें और लाभ हैं, जिनमें से कुछ यह हैं :

①- मोमिन के हृदय को गुनाहों और नाफ़र्मानियों के प्रभाव और दिलों पर उसके दुष्ट परिणामों से पवित्र करना, और उसकी आत्मा को बखीली और कंजूसी की बुराई और उन पर निष्कर्षित होने वाले बुरे नताईज से पाक और शुद्ध करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

[التوبة: ١٠٣].

उनके मालों में से ज़कात लेलीजिए, जिसके द्वारा आप उन्हें पाक और पवित्र कीजिए।

(सूरतुत-तौबः १०३)

②- निर्धन मुसल्मान के लिए किफायत, उसके आवयश्कता की पूर्ति और उसकी खबरगीरी (देख रेख), और उसे ग़ैरूल्लाह के सामने हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बचाना।

③- कर्ज़दार मुसलमान के कर्ज़ को चुकाकर, और उसके ऊपर क़र्ज़ देने वालों की ओर से जो क़र्ज

अनिवार्य है उसकी पूर्ति करके उसके शोक और चिन्ता को हलका करना।

④-अस्त व्यस्त और खिन्न (परागन्दा और बिखरे हुए) दिलों को ईमान और इस्लाम पर एकत्र करना, और उन्हें उनके अन्दर दृढ़ विश्वास न होने के कारण पाए जाने वाले सन्देहों और मानसिक व्याकुलताओं से निकाल कर दृढ़ ईमान और परिपूर्ण विश्वास की ओर लेजाना।

⑤- मुसलमान यात्री की सहायता करना, यदि वह रास्ते में फंस जाए (आपत्ति ग्रस्त होजाए) और उसके पास उसकी यात्रा के लिए पर्याप्त व्यय न हो, तो उसे ज़कात के फण्ड (कोष) से इतना माल दिया जाएगा जिससे उसकी आवश्यकता पूरी होजाए यहां तक कि वह अपने घर वापस लौट आए।

⑥- धन को पवित्र करना, उसको बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, और अल्लाह तआला की आज्ञापालन, उसके आदेश का सम्मान और उसके मख्लूक़ पर उपकार करने की बरकत से उसे दुर्घटनाओं से बचाना।

जिन धनों में ज़कात अनिवार्य है :

वह चार प्रकार के हैं, जो निम्नलिखित हैं :

❶- घरती से निकलने वाले अनाज और ग़ल्ले।

❷- क़ीमतें (मूल्याएं) जैसे सोना चांदी और बैंक नोट (करेन्सियां)।

❸- तिजारत के सामान, इससे अभिप्राय हर वह वस्तु है जिसे कमाने और व्यवपार करने के लिए तैयार किया गया हो, जैसेकि ... जानवर, अनाज, गाड़ियां आदि।

❹- चौपाए और वह ऊंट बकरी और गाय हैं।

इन सब पूंजियों में ज़कात कुछ निर्धारित शर्तों के पाए जाने पर ही अनिवार्य है, यदि वह नहीं पाए गए तो ज़कात अनिवार्य नहीं है।

ज़कात के हक़्दार लोग :

इस्लाम में ज़कात के कुछ विशेष मसारिफ (उपभोक्ता) हैं, और वह निम्नलिखित वर्ग के लोग हैं:

①- गरीब और निर्धन लोग (जिनके पास उनकी ज़रूरतों का आधा सामान भी नहीं होता है)

②- मिस्कीन लोग (जिनके पास उनकी ज़रूरत का आधा, या उससे अधिक सामान होता है, किन्तु पूरा सामान नहीं होता है।)

③- ज़कात वसूल करने पर नियुक्त कर्मचारी।

④- जिनके दिल की तसल्ली की जाती है, (अर्थात नौ-मुस्लिम, मुसलमान क़ैदी आदि)

⑤- गुलाम (दास या दासी) आज़ाद करने के लिए।

⑥- कर्ज़ खाए हुए लोग, तथा तावान उठाने वाले लोग।

⑦- अल्लाह के मार्ग में अर्थात जिहाद (धर्म-युद्ध) के लिए।

⑧- यात्री (अर्थात वह यात्री जिसका यात्रा के दौरान माल असबाब समाप्त होजाए)

ज़कात के फायदे :

①- अल्लाह और उसके रसूल के आदेश का आज्ञापालन, और अल्लाह और उसके रसूल की प्रिय चीज़ को अपने नफ्स की प्रिय चीज़ धन पर प्राथमिकता देना।

②- अमल के सवाब (पुण्य) का कई गुना बढ़ जाना, (अल्लाह तआला का फरमान है):

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦١].

जो लोग अपना धन अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करते हैं उसका उदाहरण उस दाने के समान है जिसमें सात बालियां निकलें और हर बाली में सौ दाने हों, और अल्लाह तआला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ाकर दे। (सूरतुल-बक़राः २६१)

③- ज़कात निकालना ईमान का प्रमाण और उसकी निशानी है, जैसा कि हदीस में है :

((**والصدقة برهان**)) رواه مسلم.

और सदक़ा (दान करना) (ईमान का) प्रमाण है। (मुस्लिम)

④- गुनाहों और दुष्ट आचरण (अख्लाक़) की गन्दगी से पवित्रता प्राप्त करना, अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:١٠٣].

आप उनके धनों में से सद्क़ा (दान) लेलीजिए, जिसके द्वारा आप उनको पाक साफ करदें। (सूरतुत्-तौबाः १०३)

⑤- धन में बढ़ोतरी, बर्कत और उसकी सुरक्षा, और उसकी बुराई से बचाव होना, इसलिए कि हदीस में है कि:

((ما نقص مال من صدقة)). رواه مسلم

दान पुण्य (सदक़ा) करने से धन में कोई कमी नहीं होती। (मुस्लिम)

⑥- दान पुण्य करने वाला क़ियामत के दिन अपने दान पुण्य के छावों में होगा, जैसा कि उस हदीस में है कि अल्लाह तआला सात लोगों को उस दिन अपने छाया में स्थान देगा जिस दिन कि उसके छाया के अतिरिक्त कोई और छाया न होगा :

((رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) متفق عليه.

एक वह व्यक्ति जिसने दान पुण्य किया, तो उसे इस प्रकार गुप्त रखा कि जो कुछ उसके दाहिने हाथ ने खर्च किया है, उसका बायां हाथ उसे नहीं जानता हैं। (बुखारी व मुस्लिम)

⑦- अल्लाह तआला की कृपा और दया का कारण है: (अल्लाह तआला का फरमान है):

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الأعراف:١٥٦]

मेरी रहमत सारी चीज़ों को सम्मिलित है, सो उसे मैं उन लोगों के लिए अवश्य लिखूंगा, जो डरते हैं और ज़कात देते हैं। (सूरतुल-आराफः १५६).

चौथा स्तम्भ : रोज़ा

इससे अभिप्राय यह है कि : रोज़े की नियत से, फज्र निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, तमाम रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों जैसे कि खाने पीने और सम्भोग से रूक जाना। यह रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने का रखना है जो साल भर में एक बार आता है।

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

[البقرة:١٨٣].

ऐ लोगो जो ईमान लाऐ हो तुम पर रोज़े रखना अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुम से पूर्व के लोगों पर अनिवार्य किया गया था, ताकि तुम डरने वाले (परहेज़गार) बन जाओ। (सूरतुल-बक्राः १८३).

और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

((**من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه**)) متفق عليه.

जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत रखते हुए रोज़ा रखा उसके पिछले गुनाह क्षमा कर दिए जायेंगे। (बुखारी व मुस्लिम)

रोज़े के फायदे :

इस महीना का रोज़ा रखने से मुसलमान को अनेक ईमानी, मानसिक और स्वास्थ आदि सम्बन्धी फायदे प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ यह हैं :

❶- रोज़ा पाचन क्रिया और मेदा (आमाशय) को सालों साल लागातार (निरंतर) कार्य करने के कष्ट से आराम पहुंचाता है, अनावश्यक चीज़ों (फज़ूलात, मल) को पिघला देता है, शरीर को शक्ति प्रदान करता है, तथा वह बहुत से रोगों के लिए भी लाभदायक है।

❷- रोज़ा नफ़्स को शाईस्ता (सभ्य, शिष्ट) बनाता है और भलाई, व्यवस्था, आज्ञापालन, धैर्य और इख़्लास (निस्वार्थता) का आदी बनाता है।

❸- रोज़ेदार को अपने रोज़ेदार भाईयों के बीच बराबरी का एहसास होता है, वह उनके साथ रोज़ा रखता है और उनके साथ ही रोज़ा खोलता है, और उसे सर्व-इस्लामी एकता का अनुभव होता है, और उसे भूख का एहसास होता है तो वह अपने भूखे और ज़रूरतमंद भाईयों की खबरगीरी और देख रेख करता है।

तथा रोज़े के कुछ आदाब हैं जिस से रोज़ेदार का सुसज्जित होना महत्वपूर्ण है ताकि उसका रोज़ा शुद्ध (सहीह) और पूर्ण हो।

तथा कुछ चीज़ें रोज़े को बातिल (व्यर्थ और अमान्य) करने वाली भी हैं, यदि रोज़ेदार उनमें से किसी एक

चीज़ को करले तो उसका रोज़ा बातिल होजाता है। तथा इस्लाम ने बीमार, यात्री, दूध पिलाने वाली महिला और इनके अतिरिक्त अन्य लोगों की हालत की रिआयत करते हुए यह वैध किया है कि वह इस महीने में रोज़ा तोड़ दें, और साल के आने वाले समय में उसकी क़ज़ा करें।

पांचवाँ स्तम्भ : हज्ज

यह स्तम्भ मुसलमान पुरूष तथा स्त्री पर पूरे जीवन में केवल एक बार अनिवार्य है, और जो इससे अधिक बार किया जाता है वह नफ़्ली और सुन्नत है जिस पर क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा पुण्य (अज्र व सवाब) मिलेगा, तथा यह हज्ज मुसल्मान पर केवल उसी समय अनिवार्य है जब वह उसके करने की शक्ति रखता हो, चाहे वह आर्थिक (माली) शक्ति हो या शारीरिक शक्ति, यदि वह इसकी शक्ति नहीं रखता है तो वह इस स्तम्भ को अदा करने से भार मुक्त होजाता है।

हज्ज के फायदे (लाभ) :

हज्ज की अदायगी से मुसलमान को अधिकांश फायदे प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ यह हैं :

❶- यह आत्मा, शरीर और धन के द्वारा अल्लाह तआला की उपासना (इबादत) है।

❷- हज्ज में संसार के हर स्थान से मुसल्मान एकत्र होते हैं; सब के सब एक स्थान पर मिलते हैं, एक ही पोशाक पहनते हैं, और एक ही समय में एक ही रब (प्रमेश्वर) की इबादत (उपासना) करते हैं, राजा और प्रजा, धनी और निर्धन, काले और गोरे, अर्बी और अज्मी के बीच कोई अन्तर नहीं होता है; हां यदि होता है तो केवल आत्मसंयम (तक़्वा) और सत्कर्म के आधार पर, इस प्रकार मुसल्मानों का आपस में परिचय तथा सहयोग, और प्रेम तथा एकता का भाव उत्पन्न होता है, और इस सम्मेलन के द्वारा वह उस दिन को याद करते हैं जिस दिन अल्लाह तआला उन सब को मरने के पश्चात एक साथ क़ियामत के दिन पुनः जीवित करेगा, और हिसाब के लिए एक ही स्थान पर एकत्र करेगा, इसलिए वह (यह याद करके) अल्लाह तआला की आज्ञापालन करके मरने के बाद के लिए तैयारी करते हैं।

हज्ज के कार्यकर्म का क्या उद्देश्य है ?

किन्तु प्रश्न यह है कि काबा जो कि मुसल्मानों का क़िब्ला है जिसकी ओर अल्लाह तआला ने उन्हें, चाहे

वह कहीं भी हों नमाज़ के अन्दर मुख करने का आदेश दिया है, उसके चारों ओर तवाफ (परिक्रमा) करने का क्या उद्देश्य है ? इसी प्रकार मक्का के अन्य स्थानों अरफात और मुज़दलिफा में उसके निर्धारित समय में ठहरने तथा मिना में क़ियाम करने का क्या उद्देश्य है ? इसका केवल एक ही उद्देश्य है, और वह है : **उन पाक और पवित्र स्थानों में उसी कैफियत और उसी तरीक़े पर अल्लाह तआला की इबादत करना जिस प्रकार अल्लाह तआला ने आदेश दिया है।**

जहाँ तक स्वयं काबा, तथा उन स्थानों और सारे सृष्टि की बात है तो ज्ञात होना चाहिए कि उनकी पूजा और उपासना नहीं की जाएगी, और न ही वे लाभ और हानि पहुंचा सकते हैं, बल्कि इबादत केवल अकेले अल्लाह की की जाएगी, और लाभ और हानि पहुंचाने वाला केवल अकेला अल्लाह तआला है, यदि अल्लाह ने उस घर का हज्ज करने और उन मशायिर और स्थानों पर ठहरने का आदेश न दिया होता तो मुसल्मान के लिए जायज़ नहीं होता कि वह हज्ज करे और वो सारी चीज़ें करे, इसलिए कि उपासना (इबादत) मनुष्य के अपने विचार और स्वेच्छा के आधार पर नहीं हो सकती, बल्कि कुरआन करीम में अल्लाह तआला के आदेश या

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार ही हो सकती है, अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٧]

अल्लाह तआला ने उन लोगों पर खाना-काबा का हज्ज अनिवार्य कर दिया है जो वहां तक पहुंचने की ताक़त (सामर्थ्य) रखते हों, और जो व्यक्ति कुफ्र (अवज्ञा) करे तो अल्लाह तआला (उस से बल्कि) सर्व संसार से बेनियाज़ (निस्पृह) है। (सूरत आल-इम्रानः ९७)

संछेप के साथ हज्ज के कार्यकर्म यह हैं:

१- एहराम (हज्ज में दाखिल होने की नियत करना)।

२- मिना में रात बिताना।

३- अरफात में ठहरना

४- मुज़्दलिफा में रात बिताना।

५- कंकरी मारना।

६- क़ुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करना।

७- सिर के बाल मुंडाना।

८- तवाफ (काबा की परिक्रमा करना)।

९- सई (सफा और मरवा के बीच दौड़ना)।

१०- एहराम से हलाल होना (एहराम खोल देना)

११- मिना वापस जाना और वहाँ रात बिताना।

उम्रा के आमाल यह हैं :

❶-एहराम (उम्रा में दाखिल होने की नियत करना)।

❷- तवाफ करना

❸- सई करना

❹-सिर के बाल मुंडाना।

❺-एहराम से हलाल होना (एहराम खोल देना)।

ऊपर उल्लेख किए गये कार्यकर्मों में से हर एक की अन्य विस्तार, व्याख्या और टिप्पणी है जिसे आप अल्लाह की इच्छा से उस समय जान लेंगे जब आप

शीघ्र ही हज्ज व उम्रा के मनासिक को अदा करने का संकल्प (दृढ़ निश्चय) करेंगे।

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
*atazia75@gmail.com

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
इस्लाम क्या है?	३
इस्लाम के स्तम्भः	३
प्रथम स्तम्भः 'ला इलाहा इल्लल्लाह' और 'मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' की गवाहीः	४
द्वितीय स्तम्भः नमाज़	७
नमाज़ और उसकी रकअतों की संख्याः	८
नमाज़ के फायदे और विशेषताएं :	९
तीसरा स्तम्भ : ज़कात	१४
ज़कात की वैधता की हिक्मत :	१५
जिन धनों में ज़कात अनिवार्य है :	१७
ज़कात के हक़्दार लोग :	१७
ज़कात के फायदे :	१८
चौथा स्तम्भ : रोज़ा	२१
रोज़े के फायदे :	२२

पांचवाँ स्तम्भ : हज्ज	२४
हज्ज के फायदे (लाभ) :	२४
हज्ज के कार्यकर्म का क्या उद्देश्य है ?	२५
संछेप के साथ हज्ज के कार्यकर्म यह हैं:	२७
उम्रा के कार्यकर्म यह हैं :	२८
विषय सूची	३०